न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 633–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–12–2015 पारित द्वारा न्यायालय सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख जिला इंदौर के प्रकरण कमांक 4408/भू–अभि./निरी./2015

.....

विनोद चौकसे पिता स्व0श्री मन्नूलालजी चौकसे
निवासी 40 सत्यम विहार कॉलोनी
नन्दा नगर इंदौर

..... आवेदक

विरूद्ध

1–इंदौर विकास प्राधिकरण
7 रेसकोर्स इंदौर म0प्र0
2–मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इंदौर विकास प्राधिकरण,
7 रेसकोर्स इंदौर म0प्र0 ..... अनावेदकगण

.....

श्रीमती वैभव भागवत, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 7/8/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख, जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–12–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि इंदौर विकास प्राधिकरण के पत्र कमांक 4957 दिनांक 25–7–2015 के आधार पर ग्राम खजराना जिला इंदौर स्थित भूमि सर्वे कमांक 509/2 एवं 510/3/4/3 का सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख जिला इंदौर द्वारा सीमांकन दिनांक 19–12–2015 को निरीक्षण टीम द्वारा किया गया । सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख जिला इंदौर के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 21–06–2016 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि आवेदक के अभिभाषक एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों पर विचार कर किया जा रहा है ।

4/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) आवेदक को सीमांकन की कार्यवाही की कभी भी कोई सूचना नहीं दी गई है, इसलिये उक्त सीमांकन आवेदक पर बन्धनकारी नहीं है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित है, ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

(3) प्रश्नाधीन सीमांकन पूर्व में किये गये राजस्व निरीक्षकों एवं सहायक अधीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन से पूर्णतः भिन्न है, जो इस बात को इंगित करता है कि उक्त सीमांकन अनावेदकगण को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से किया गया है ।

(4) आवेदक की भूमि का पूर्व में तीन बार सीमांकन हो चुका है और उक्त भूमि तीनों ही सीमांकन में आवेदक की भूमि बताई गई है, जिस पर आवेदक काबिज है।

(5) राजस्व अधिकारियों के अतिरिक्त नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा भी आवेदक की भूमि का सीमांकन कर उसे भूमि विकसित करने की अनुमति दी गई है ।

(6) सीमांकन के पूर्व कोई सूचना पत्र भी आवेदक को नहीं दिया गया है, उक्त सूचना पत्र दिनांक 19–12–2015 को जारी किया गया और दिनांक 19–12–15 को सुबह 8:00 बजे नप्ती का समय दिया गया, किन्तु आश्चर्यजनक रूप से दिनांक 19–12–15 को जारी किया गया सूचना पत्र इंदौर विकास प्राधिकरण को दिनांक 18–12–15 को ही प्राप्त हो गया और उक्त सूचना पत्र आवेदक को तामील ही नहीं हुआ है । इस आधार पर कहा गया कि प्रश्नाधीन सीमांकन पूर्णतः अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ अनावेदकगण के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ आवदेक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। सीमांकन प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा हितबद्ध पक्षकारों एवं पड़ोसी कृषकों को विधिवत् सूचना दी जाकर टी.एस.एम. मशीन से सीमांकन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक सीमांकन के समय उपस्थित हुआ है, क्योंकि सीमांकन पंचनामे में स्पष्ट उल्लेख है कि आवेदक उपस्थित हुआ है और हस्ताक्षर करने से इंकार किया है । इस प्रकार सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा पारित सीमांकन आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख, जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–12–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर